न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

दिनेश कुमार रावल पुत्र श्री मुन्नालाल रावल, जाति– रावल, निवासी– पालडी आर, तहसील– सिरोही, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, रामपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही
2. रविशंकर रावल पुत्र श्री छगनलाल, जाति– रावल, निवासी– पालडी आर, तहसील व जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 74/2024

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री चेतन रावल, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी रविशंकर रावल पुत्र छगनलाल जी रावल, निवासी– पालडी आर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 20–3–2023 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्याः 2 (दो) रविशंकर रावल की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) रविशंकर रावल की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्याः 01(एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 24–3–2026 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रावल ने प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा दिनांक 20–03–2023 को अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के नाम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पट्टा संख्या 39 जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के नाम से जारी किया है, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) इस पट्टे के आधार पर प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे हक अधिकार के भूखण्ड पर अपना हक अधिकार जताकर इसमें अवैध रूप से निर्माण कार्य करवा रहा हैं एवं प्रार्थी के कब्जे शुदा भूमि में प्रार्थी को डरा धमकाकर उसकी कब्जे शुदा भूमि में नीवं भराई व मकान के निर्माण हेतु कार्य कर रहा हैं जो प्रार्थी के कब्जे शुदा पुश्तैनी भूमि में अतिक्रमण करके किया जा रहा है। उक्त अवैध पट्टे की आड में अप्रार्थी रविशंकर प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे अधिकार की भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहता है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा जो पट्टा संख्या 39, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत दिनांक 20–3–2023 को जारी किया गया हैं, उक्त नियम के तहत पट्टाधारक का उक्त पट्टे की भूमि पर पुराना आवास व निवास होना आवश्यक है। जबकि मौके पर कोई निर्माण किया हुआ नहीं है व मौके पर भूमि खाली

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

व पडत भूमि रही है। उक्त प्रश्नगत पट्टे के भूखण्ड पर कभी भी मानव निवास या पुराना आवास या गृह नहीं रहा है इसलिए नियमानुसार ग्राम पंचायत, रामपुरा की आबादी भूमि में नियम 157(1) के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 (दो) कानूनन योग्य नहीं था परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर उक्त अवैध पट्टा प्राप्त किया है व ग्राम पंचायत, रामपुरा ने अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के प्रभाव में आकर उक्त भूमि का कुटरचित तरीके से पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त भूखण्ड की चतुदर्शी उत्तर में दिनदयाल अमीराम का मकान, दक्षिण में हिम्मतराम पुत्र लुम्बारामजी रावल का मकान, पूर्व में रविशंकर का प्लोट व पश्चिम आम रास्ता व दरवाजा है तथा नाप पूर्व—पश्चिम 40 फीट व उत्तर—दक्षिण 40 फीट कुल 1600 वर्गफीट है। यह कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा मौके का भौतिक सत्यापन किये बिना ही मौके की भौतिक स्थिति के विपरित जाकर उक्त भूखण्ड़ पर भवन निर्मित नहीं होते हुए भी विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना फर्जी व गलत पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के नाम जारी किया है। प्रार्थी को अपने पुश्तैनी कब्जेशुदा प्लोट में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा अवरोध पैदा करने पर प्रार्थी ने उक्त कृत्य की शिकायत ग्राम पंचायत, रामपुरा के कार्यालय में की तब प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने चोरी चुपके वर्ष 2023 में प्रार्थी के कब्जे व हक हिस्से की भूमि को सम्मिलित करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को बिना कब्जे के ग्राम पंचायत ने पट्टा बनाकर जारी किया है। प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की नियम 157(1) के तहत पुराने गृहो के विनियमितीकरण का जारी किया है जबकि उक्त भूखण्ड पर कोई पुराना गृह बना हुआ नहीं है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का उस पर निवास रहा हैं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) प्रश्नगत भूखण्ड से अन्यत्र मकान में परिवार सहित निवासरत् है। उक्त जारी पट्टे में शुल्क राशि 320/— दर्शायी हुई है जिसमें मिसल संख्या 220 अंकित है, जबकि पट्टा जारी करने में आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत, रामपुरा ने विधि व नियमों को ताक में रखकर पट्टा संख्या 39 दिनांक 20—3—2023 को जारी किया है। प्रार्थी का उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने पिता मुन्नालाल रावल व दादा भुरारामजी रावल व उससे भी पहले पिछले 77 वर्षों से लगातार उसके पूर्व रसाधिकारियों के जरिये प्रार्थी का मालिकाना कब्जा अधिपत्य लगातार चला आ रहा है जिसके तहत उक्त भूखण्ड़ पर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा दिनांक 03—01—1965 को प्रार्थी के दादा भुरारामजी पुत्र वनाजी रावल के हक में कच्चा परवाना संख्या 24 जारी किया था जिसके संबंध में ग्राम पंचायत, रामपुरा ने प्रार्थी के पिता को नोटिस दिनांक 22—05—1996 जारी किया जिसमें दर्शाया की सूचना, सर्तकता बैठक दिनांक 30—03—1996 के निर्णय की पालना में प्रार्थी के पिता के कब्जे शुदा भूखण्ड का कच्चा परवाना दिनांक 03—01—1965 को खारिज किया जाता है, जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने एक दिवानी मूल प्रकरण संख्या 34/96, माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), सिरोही के समक्ष वाद वास्ते घोषणा स्वामित्व एवं अवैध घोषित करने नोटिस दिनांक 22—5—1996 पेश किया जिस पर निर्णय दिनांक 07—12—2004 के तहत माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) के न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 22:5—1996 को अवैध, प्रभावहीन व शून्य घोषित किया तथा अप्रार्थी संख्या 2(दो) के पिता व अप्रार्थी के परिवार वालो के विरूद्ध विधि अनुसार सम्यक विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विवादग्रस्त भूखण्ड़ पर प्रार्थी के पिता के कब्जे में हस्तक्षेप न करे व न ही उसे बेदखल करे, उक्त प्रकार की डिक्री पर्चा मुर्तिब किया गया। जिसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रार्थी के पिता के विरुद्ध एक पंचायत निगरानी दिनांक 26—08—2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की, उस पंचायत निगरानी में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30—11—2022 में उक्त कच्चा परवाना संख्या 24 दिनांक 03—01—1966 को निरस्त किया गया। जिसके संबंध में अप्रार्थी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या 2 (दो) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 159 के तहत कैवियट प्रस्तुत की तथा प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत अपील/रिट की जानकारी अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को होते हुए भी ग्राम पंचायत, रामपुरा से मिलीभगत कर व इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–11–2022 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट/अपील विचाराधीन होने की जानकारी होते हुए भी कुटरचित तरीके से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत उक्त खाली भूखण्ड का रसीद संख्या 10 दिनांक 20–03–2023 से राशि रुपये 320/– जमा कर पट्टा जारी करवाया है जो प्रार्थी के पुराने पुश्तैनी कब्जेशुदा खाली भूखण्ड़ का जारी करवाया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन के साथ संलग्न उक्त खाली भूखण्ड के फोटो से जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की मिलीभगत से प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे शुदा भूखण्ड़ पर अतिक्रमण कर पट्टा जारी करवाया है जो नियम विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, रामपुरा ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना व मौके पर कब्जे एवं भौतिक स्थिति का अवलोकन किये बिना ही पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि जो उक्त पट्टे के पश्चिम में आई हुई है उक्त भूमि पर भी अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने नीव भराई कर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर झगड़ा फंसाद करने पर प्रथम बार अप्रार्थी संख्या 2(दो) को जारी अवैध पट्टे की जानकारी होने से यह निगरानी आवेदन पेश करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी रविशंकर पुत्र छगनलाल जी रावल, निवासी– पालडी आर के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा विलेख संख्या 39 दिनांक 20–3–2023 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) रविशंकर रावल के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने अप्रार्थी संख्या 2 (दो) रविशंकर रावल के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में विधि अनुसार जारी किया गया है। वादग्रस्त सम्पत्ति पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का पुराना कब्जा आवास होने से नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पट्टा पुर्ण प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। प्रार्थी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई कब्जा अधिपत्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने अपने पुराने आवास के स्थान पर नया निर्माण करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा न ही कोई अवैद्य निर्माण कार्य किया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा यदि प्रार्थी की सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया होता तो प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना में मुकद्मा अवश्य दर्ज करवाया जाता। प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन गलत व मनगंढत कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नही है व न ही कोई कारण पैदा हुआ है। वादग्रस्त पट्टा की सम्पत्ति व मुन्नालाल के हक में जारी कच्चा परवाना की भूमि भिन्न भिन्न है। अन्यथा भी उक्त कच्चा परवाने को रविशंकर रावल द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन में बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय ने दिनांक 30–11–2022 को निर्णय पारित कर निरस्त किया जा चुका है तथा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–11–2022 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील/रिट भी खारिज हो चुकी है। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पट्टा जारी किए जाने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पुर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। प्रार्थी ने वादग्रस्त सम्पत्ति अपने स्वयं के मालकी, कब्जे अधिपत्य की होने का गलत कथन कर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

करने का कथन किया है। प्रार्थी के अभिवचनों के अनुसार उक्त विवाद शुद्ध रूप से सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थी सर्वप्रथम सिविल न्यायालय से अपने हक तय करावे कि उक्त सम्पत्ति में उसका कोई हक अधिकार है अथवा नहीं। सिविल विवाद का निपटारा इस निगरानी प्रकरण के जरिये नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर दुर्भावनापुर्ण आशय से अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को उसके हक अधिकार व स्वामित्व की सम्पत्ति से वंचित करने के आशय से यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त सम्पत्ति पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का पुराना कब्जा होकर उस पर पुराना आवासीय मकान बना हुआ था, तथा आज भी अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का आवासीय मकान उक्त सम्पत्ति पर बना हुआ है, जिसमें विद्युत कनेक्शन व पानी कनेक्शन भी अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के नाम से लिए हुए है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्माण स्वीकृती प्राप्त कर पुराने निर्माण को हटाकर नया निर्माण कार्य करवाया गया है तथा मौके पर रास्ते की तरफ लोहे का गेट भी लगाया हुआ है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी रविशंकर पुत्र छगनलाल जी रावल, निवासी– पालडी आर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 39 दिनांक 20–3–2023 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा प्रार्थी के दादा भूरारामजी पुत्र वनाजी रावल के हक में जारी कच्चा परवाना संख्या 24 दिनांक 03–01–1965 के आधार पर यह निगरानी आवेदन, अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त कच्चा परवाना दिनांक 03–01–1965 को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में एक अन्य पंचायत निगरानी प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30–11–2022 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–11–2022 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट पीटीशन

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्याः 5657/2023 में पारित निर्णय दिनांक 14—01—2025 के अनुसार प्रार्थी की रिट याचिका को खारिज किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी निगरानीकार द्वारा यह निगरानी आवेदन, जिस कच्चा परवाना के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है उस कच्चा परवाना दिनांक 03—01—1965 को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त कर दिया गया था व प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30—11—2022 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत उक्त रिट याचिका भी खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, उक्त कच्चा परवाना के आधार पर प्रार्थी निगरानीकार को प्रश्नगत पट्टे की भूमि में कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है। वैसे भी उक्त प्रश्नगत पट्टे में अंकित चतुर्दशी व उक्त कच्चा परवाना में अंकित चतुर्दशी आपस में मेल नही खाती है। प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का पुराना आवास गृह बना हुआ नही रहा हो और मौके पर भूमि खाली पडत भूमि हो। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के कथनानुसार, ''प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का पुराना कब्जा होकर उस पर पुराना आवासीय मकान बना हुआ था तथा आज भी अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का आवासीय मकान उक्त सम्पत्ति पर बना हुआ है, जिसमें विद्युत कनेक्शन व पानी कनेक्शन भी अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के नाम से लिए हुए है।'' इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस् व दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौके पर पक्का आवासीय मकान बना हुआ है जो अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने ग्राम पंचायत, रामपुरा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मकान का निर्माण कार्य करवाया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा मकान में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है।

चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही